वेतन समझौते को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया, 2

बैंक अफसरों का वेतन

बैंक कर्मचारी

देहरादून | मुख्य संवाददाता

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फरडेशन ने शुक्रवार को एस्लेहाल सि

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फरडेशन (आईबोक) उत्तराखंड से जुड़े बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को दून में जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक अफसरों ने 21 को बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही 26 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम की बैंक हड़ताल में शामिल होने की भी घोषणा की। प्रदर्शन में देहरादून शहर के विभिन्न बैंकों के अफसर शामिल हुए।

इस महीने 21 और 26 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी। हड़ताल के समर्थन में शुक्रवार शाम को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फरडेशन ने एस्लेहाल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। जिसमें वेतन समझौते को लेकर आईबीए के रुख पर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में स्केल 1 से लेकर सात तक के अफसरों को समझौते के तहत लिया जाता रहा है, लेकिन इस बार भेदभाव किया जा रहा है। इस मौके पर आईबोक के अध्यक्ष हरिओम रेखी, सचिव प्रमोद रंजन कुकरेती, पंजाब नेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जयंत चौहान, इलाहाबाद बैंक के एसएस नेगी, सिंडीकेट बैंक आरएम नौटियाल, बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश चंद्र गैरोला, राज सिंह आदि थे।

बैंक अफसर

- सभी स्केल के बैंकके समझौते में शामि
- वेतन समझौते को डिमांड के अनुसा
- पांच दिन का कार किया जाए

कर्मचारियों को हड़ताल में शा नहीं होने का शपथ पत्र देना

आदेश

देहरादून | विशेष संवाददाता

सरकार ने राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। उन्हें हड़ताल में शामिल न होने का शपथ पत्र देना होगा। इसी एवज में सरकार ने उनके पूर्व के हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील किया है।

उत्तराखंड कार्मिक-शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा ने लंबित मांगों के हल को लेकर अगस्त माह में तीन दिन का कार्य बहिष्कार किया था। जनवरी 2013 में सरकार ने फैसला लिया था जो कर्मचारी-शिक्षक हड़ताल करेंगे, उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए पूर्व में हड़ताल अवधि के दिनों को उपार्जित अवकाश में शामिल किया है। अपर सचिव (कार्मिक) एसएस वल्दिया के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफहै कि कर्मचारी-शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे भविष्य में वे हड़ताल में शामि‍[illegible] सरकार ने नो वर्क नोन, से लागू करने का भी

कर्मचारी मोर्चा ने सरकार का आभार

उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक आउटसोर्स मोर्चा ने कार्यबहिष्कार आंद अवकाश स्वीकृत होने पर सरकार का आभार जताया है। मोर्चा के कर्मचारी नेताओं ने एसीपी की पूर्व व्यवस्था राज्य कर्मियों के लिए व बिजली कर्मियों के लिए 9, 14 व 19 वर्ष की व्यवस्था लागू की है। बैठक में मुख्य संयोजक प्रहलाद सिंह के साथ ही इंसारुल हक त्रिपाठी, राकेश प्रसाद ममगाई, शक्तिप्रसाद भट्ट, अरुण पांडे, ओ सेमवाल, सीपी सुयाल, गुड्डी मट्डा, अंजू बड़ोला, रेनू लांबा, राकेश सिंह रावत, एसपी राणाकोटी, संदीप शर्मा, गिरिजानंदन सेमवाल, दिनेश पंत, हरदेव रावत, रविंद्र भगत, गजेंद्र कपिल, मौजूद रहे।

20 दिसंबर को परीक्षा आयोजित न करे गढ़वाल

देहरादून। प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षक संघों ने लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षकों ने सातवें वेतनमान की मा दिसंबर को सचिवालय कूच का निर्णय लिया है। शिक्षकों ने गढ़वा से इस दिन कोई पेपर आयोजित न करने की अपील की है। दिसंब गढ़वाल विश्वविद्यायल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने जा र ने अब तक इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी नही किया है। ग्रुटा त्यागी ने बताया कि शुक्रवार को शिक्षक संघों ने सर्वसहमति से ग लिख कर 20 दिसंबर को कोई परीक्षा आयोजित न करने की अपी

चोरी पकड़े जाने से घबरा गई है कांग्रेस : किरण रिजिजू

सियासत

मसूरी | हमारे संवाददाता

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 93वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरन रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राफेल डील पर कांग्रेस की बहुत अच्छा लगता है। मसूरी में मैं पांचवी बार आए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में ऑल इंडिया सर्विस के 370 अधिकारियों को संबोधित कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू दोपहर को हेलीकॉप्टर से पोलोग्राउंड हेलीपैड पर उतरे जहां उनका स्वागत

श्री सनातलय

क्र. सं.	पद का नाम
1.	प्राचार्य
2.	असिस्टेन्ट प्रो(महिला) राजनीति वि
3.	असिस्टेन्ट प्रो(महिला) हिन्दी
4.	असिस्टेन्ट प्रो(महिला) संस्कृत
5.	[illegible]
6.	पुस्तकालय [illegible]

फैक्ट्री कर्मियों को नहीं मिला वेतन

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन विभाग नींद में है। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने पूरे मामले में जांच और कर्मचारियों को राहत देने का आश्वासन दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन न तो ईएसआई का लाभ दे रहा है। कर्मचारियों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री पंत ने कहा कि जुलाई 2018 तक का भुगतान कर्मचारियों को हो चुका है। अक्तूबर 2018 तक का आंशिक भुगतान हो चुका है।

रोडवेज कर्मियों की मांगों पर मंथन को बुलाई बैठक

परिवहन निगम

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मांगों पर विचार के लिए शासन ने दस दिसंबर को बैठक बुलाई है। यह बैठक परिवहन सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में होगी। इसके लिए रोडवेज यूनियन के पांच प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।

यह यूनियन पिछले एक दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। दूसरे चरण में शनिवार से सभी बस स्टेशनों पर सामूहिक उपवास और धरना-प्रदर्शन होना है। इस आंदोलन से बसों का संचालन गड़बड़ाने के आसार हैं। इसलिए परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने उनकी सभी मांगों पर विचार के लिए दस दिसंबर को बैठक बुलाई है।

महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन की ओर से यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि यह बैठक परिवहन सचिव कार्यालय में होगी। उन्होंने यूनियन के पांच प्रतिनिधियों से यहां आने को कहा है। इधर, यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कर्मचारी लंबित वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।

आयोग के सदस्य से मिले बैकलॉग अभ्यर्थी

देहरादून। प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली को लेकर बीएड टीईटी प्रथम बैकलॉग अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डा. स्वराज विद्वान से मुलाकात की। इसमें अभ्यर्थियों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

शुक्रवार को अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में ओएनजीसी में आयोग के सदस्य स्वराज विद्वान से मिला। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका मामला शासन स्तर पर लटका हुआ है, यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह 15 दिसम्बर को बाहर हो जाएंगे। स्वराज विद्वान ने मामले में सीएम, शिक्षा मंत्री से मिलने के साथ ही सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

pnb Housing
Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
शाखा का पता: शॉप नं. 304, लक्ष्मी चैम्बर्स, 69 राजपुर रोड, देहरादून, पिन कोड 248001 उत्तराखंड
फोन नं: 0135-2749900, ई-मेल: dehradun@pnbhousing.com, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

सार्वजनिक सूचना-अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी सह बिक्री

नियम 8(6) तथा परिशिष्ट-1V-ए के प्रावधानों के अनुसार अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी-बिक्री सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत) अब तक के संशोधन के अनुसार

एतद्द्वारा आम लोगों को यह सूचना दी जाती है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("पीएनबीएचएफएल"), कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन तथा नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम 1987 की धारा 29-ए के तहत नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ भी पंजीकृत एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा पोषित है। जैसा कि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि/सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित अनुसार रकम का भुगतान करने के लिए संबंधित कर्जदार/रों को प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को मांग सूचना जारी गई।

कर्जदार रकम का भुगतान करने में असफल रहे, कर्जदार(रों) एवं गारंटीदाता(ओं) को एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें/उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां निम्न वर्णित प्रतिभूत लेनदारों की बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति/यों भौतिक/रचनात्मक कब्जा ले लिया है।

यहां निम्न वर्णित संक्षिप्त विवरण के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा "जैसा है-जहां के आधार और वहां जो कुछ भी है आधार" पर बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्तियों को बेचकर प्रतिभूत लेनदार द्वारा ई-नीलामी/सार्वजनिक नीलामी (मुहरबंद लिफाफे में बोली प्रपत्र को एओ के समक्ष जमा की जानी है) में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पीएनबीएचएफएल के पास रखी सम्पत्तियों को कर्जदार/रों के ऋण खातों के संबंध में जमानत के रूप में प्रस्तावित की गई थीं। इन सम्पत्तियों को यहां निम्न वर्णित अनुसार ऋण खातों के समक्ष वर्णित बकाया रकम की वसूली हेतु बेचा जाना है:-

क्र. सं.	ऋण खाता सं. (ए)	कर्जदार/सह-कर्जदार गारंटीदाता का नाम (बी)	मांगी गई रकम व तिथि (सी)	कब्जा की प्रकृति (डी)	बंधक सम्पत्ति का विवरण (ई)	आरक्षित मूल्य आरपी (एफ)	ईएमडी (आरपी का -10%) (जी)	निरीक्षण की तिथि व समय (एच)	नीलामी की तिथि एवं समय (आई)	ज्ञात भार अगर कोई हो (जे)
1.	HOU/DEH/ 1215/2581 68	श्री आशु वर्मा श्रीमती शैकी वर्मा	रु. 10,50,646.65 (रुपये दस लाख पचास हजार छह सौ छियालिस एवं पैंसठ पैसे मात्र) 10.03.2018 को	भौतिक	मौजा कांसवाली कोठरी, परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में अवस्थित खाता नं.-39, (फसली वर्ष 1416-1421), खसरा नं.-1493 केथ्चए धारित भूमि का भाग गठित करता इसका प्लॉट। एरिया माप 139.40 वर्ग मीटर। **परिसीमा एवं निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः** अन्य की भूमि 50 फीट, **पश्चिमः** अन्य की भूमि माप 50 फीट, **उत्तरः** श्री गौरव साहनी की भूमि माप 30 फीट, **दक्षिणः** 20 फीट चौड़ी सड़क माप 30 फीट	रु. 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 99,000/- (रुपये निन्यानवे हजार मात्र)	14.12.2018 प्रातः 11.00 से 16.30 बजे तक	19.01.2019 प्रातः 11.00, से अप. 14.30 बजे तक	लागू नहीं
2.	HOU/DEH/ 0416/2797 15	श्री प्यारे राम सुपुत्र श्री रूप राम	रु. 16,25,560.25 (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार पांच सौ साठ एवं पच्चीस पैसे मात्र) 04.05.2017 को	सांकेतिक	मौजा रसूलपुर, परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में अवस्थित वहां खड़ी समस्त निर्माण के साथ-साथ खाता खतौनी नं.-246, (फसली वर्ष 1410-1415), खसरा नं.- 3997। माप 113.75 वर्ग मीटर का भाग गठित करता इसकी सभी भूमि। **परिसीमा एवं निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः** 15 फीट चौड़ा पैसेज, माप 38 फीट, **पश्चिमः** अन्य की भूमि, माप 43.9 फीट, **उत्तरः** 15 फीट चौड़ी पैसेज माप 31.40 फीट, **दक्षिणः** अन्य की भूमि, माप 28.40 फीट	रु. 18,00,000/- (रुपये अठारह लाख मात्र)	रु. 1,80,000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)	14.12.2018 प्रातः 11.00 से 16.30 बजे तक	19.01.2019 प्रातः 11.00 से अप. 14.30 बजे तक	लागू नहीं
3.	0021 6660003248 एवं 0021 6700003835	श्रीमती प्रमिला श्री रैनार सैलास	रु. 18,73,436.72 (रुपये अठारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ छत्तीस एवं बहत्तर पैसे मात्र) 25.11.2017 को	सांकेतिक	मौजा नवाबगढ़, परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में अवस्थित वहां की सभी भूमि खाता खतौनी नं.-55, (फसली वर्ष 1416-1421), खसरा नं.- 5873, एरिया माप 130.11 वर्ग मीटर। **परिसीमा एवं निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः** श्री जोयाल की भूमि माप 50 फीट, **पश्चिमः** सिंचाई विभाग का गुल, माप 50 फीट, **उत्तरः** श्री आदेश कुमार की भूमि माप 28 फीट, **दक्षिणः** अन्य की भूमि माप 28 फीट	रु. 26,05,000/- (रुपये छब्बीस लाख पांच हजार मात्र)	रु. 2,60,500/- (रुपये दो लाख साठ हजार पांच सौ मात्र)	14.12.2018 प्रातः 11.00 से 16.30 बजे तक	19.01.2019 प्रातः 11.00 से अप. 14.30 बजे तक	लागू नहीं
4.	0021 6660003181	श्री इमरान सुपुत्र नूरा श्रीमती अफसाना धर्मपत्नी श्री इमरान	रु. 6,48,895/- (रुपये छह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पंचानवे मात्र) 26.08.2014 को	सांकेतिक	मौजा जीवनगढ़, परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में अवस्थित वहां की सभी भूमि खाता नं.-1332, खसरा नं.- 1251 धारित एरिया 149 वर्ग मीटर। **परिसीमा एवं निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः** 20 फीट चौड़ी सड़क माप 30 फीट, **पश्चिमः** विक्रेता की भूमि माप 30 फीट, **उत्तरः** अन्य की भूमि माप 53.50 फीट, **दक्षिणः** विक्रेता की भूमि माप 53.50 फीट	रु. 19,30,000/- (रुपये उन्नीस लाख तीस हजार मात्र)	रु. 1,93,000/- (रुपये एक लाख तिरानवे हजार मात्र)	14.12.2018 प्रातः 11.00 से 16.30 बजे तक	19.01.2019 प्रातः 11.00 से अप. 14.30 बजे तक	लागू नहीं
5.	0021 6700003035	श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री शेर सिंह श्री अशोक कुमार	रु. 18,51,480/- (रुपये अठारह लाख इक्यावन हजार चार सौ अस्सी मात्र) 14.01.2015 को	सांकेतिक	मौजा रामपुर भाऊवाला, परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में अवस्थित वहां की सभी भूमि खाता नं.-180, खसरा नं.- 150 धारित एरिया 1540 वर्ग मीटर। **परिसीमा एवं निम्नानुसार घिरा हुआ: पूर्वः** 10 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** श्री राजेंद्र डबराल की भूमि, **उत्तरः** श्री शेखर की भूमि, **दक्षिणः** श्री राजेंद्र की भूमि।	रु. 95,42,000/- (रुपये पंचानवे लाख बयालीस हजार मात्र)	रु. 9,54,200/- (रुपये नौ लाख चौवन हजार दो सौ मात्र)	14.12.2018 प्रातः 11.00 से 16.30 बजे तक	19.01.2019 प्रातः 11.00 से अप. 14.30 बजे तक	लागू नहीं

जैसाकि, प्रतिभूत लेनदार (पीएनबीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित सम्पत्तियों को निपटाने का निर्णय लिया है, बिक्री की यह सूचना आज प्रकाशित की जा रही है ताकि उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों को उपरोक्त निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर बेचा जा सके। विशेष रूप से संबंधित कर्जदारों/बंधकदाताओं तथा आम नागरिकों को एतद्द्वारा कथित अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी नियम के किसी भी तरीके में प्रतिभूत आस्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने के लिए सावधान और निरुद्ध किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त वर्णित अनुसार ऋण खाते के समक्ष प्रतिभूत लेनदार के प्रभार के अधीन होगा। संबंधित कर्जदारों/बंधकदाताओं को नीलामी की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक उनका सभी उपार्जित ब्याज और प्रभार के साथ पूर्ण में संबंधित ऋण खातों को निपटाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, ऐसा नहीं करने पर उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार इन सम्पत्तियों को बेचा जाएगा। इसकी वसूली तक लागू दर पर उनका आगामी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत उसके बाद व्यय हुआ/होने वाले प्रभार को मिलाकर कॉलम 'सी' में वर्णित अनुसार मांग सूचना तिथि के अनुरूप कुल बकाया के साथ-साथ कॉलम 'बी' में वर्णित तिथि को सभी उपरोक्त वर्णित